न्यायालय संभागीय आयुक्त जयपुर

अपील जीसीएमएस संख्या 2025/345

1. अमित अग्रवाल पुत्र श्री बनवारी लाल अग्रवाल जाति महाजन निवासी मुंशी बाजार, अलवर।
2. दीपचन्द मामोडिया पुत्र रामदयाल मामोडिया जाति महाजन निवासी मन्नी का बड अलवर।
3. पुरूषोतम अग्रवाल पुत्र श्री निवास अग्रवाल जाति महाजन निवासी जावली भवन कालोनी स्टेशन रोड अलवर।

–अपीलांट

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये लैण्ड होल्डर, तहसीलदार साहब अलवर राज0।

–रेस्पोडेन्ट

2. श्रीमती मुकेश पत्नि पूरणचन्द जाति अहीर निवासी ग्राम फूसापुर तहसील मुण्डावर जिला अलवर राज0।

–तरतीबी रेस्पोडेंट

अपील अन्तर्गत धारा 75 भू–राजस्व अधिनियम 1956 विरूद्ध निर्णय दिनांक 17.02.2022 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी अलवर प्रार्थना पत्र संख्या 3/11 अंतर्गत धारा 136 उनवानी सरकार बनाम श्रीमती मुकेश

उपस्थित–

1. श्री गणपत सिंह नरूका वकील अपीलान्ट।
2. राजकीय अधिवक्ता रेस्पो0 संख्या 1 की ओर से।

निर्णय

दिनांक–02.07.2025

1. यह अपील राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75 के अन्तर्गत न्यायालय उपखण्ड अधिकारी अलवर जिला अलवर राजस्थान के निर्णय दिनांक 17.02.2022 के खिलाफ मियाद अधिनियम की धारा–5 एवं प्रार्थना पत्र 96 सी.पी. सी. के साथ प्रस्तुत हुई है।

संभागीय आयुक्त
जयपुर

2. प्रकरण में संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि रेस्पो0 संख्या 1 द्वारा अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी अलवर के समक्ष प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 136 प्रस्तुत कर वाके ग्राम भाखेडा तहसील अलवर जिला अलवर में आराजी खसरा नंबर 563 रकबा 0.12 है0 का मौके पर रकबा अधिक होने के कारण दुरूस्त करवाने का निवेदन किया जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा रेस्पो0 संख्या 1 के प्रार्थना पत्र को स्वीकार कर तहसीलदार अलवर को बढे हुये रकबे को अन्य

सिवायचक खसरे में दर्ज कर दुरूस्ती किये जाने के आदेश दिनांक 17.02.2022 को दिये गये।

3. उपखण्ड अधिकारी अलवर जिला अलवर के उक्त निर्णय दिनांक 17.02.2022 से व्यथित होकर अपीलान्ट द्वारा यह अपील प्रस्तुत कर अपील स्वीकार करने एवं अपीलाधीन निर्णय उपखण्ड अधिकारी अलवर दिनांक 17.02.2022 निरस्त करने की प्रार्थना की।

4. अपील प्रस्तुत होने पर रेस्पोंडेन्ट्स की तलबी की गई । अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड तलब किया गया। उभयपक्ष के योग्य अधिवक्ताओं की बहस सुनी गई।

5. अपीलान्ट के योग्य अधिवक्ता ने बहस के दौरान अपील मीमो में अंकित तथ्यों को दौहराते हुये मुख्य रूप से कथन किया कि विवादित आराजी खसरा नं. 563 रकबा 0.12 है0 वाके ग्राम भाखेडा तहसील व जिला अलवर के अपीलांट बोनाफाईड परचेजर है और अपीलांट्स का नाम बतौर खातेदार राजस्व रिकार्ड जमाबंदी में दर्ज है किन्तु रेस्पो0 संख्या 1 द्वारा इस तथ्य को छिपाते हुये अपीलांट को बिना पक्षकार बनाये आराजी की पूर्व खातेदार श्रीमती मुकेश को पक्षकार बनाकर एकतरफा अपीलाधीन निर्णय पारित कराया गया है जो कि निरस्त किये जाने योग्य है। अपीलांट्स मुताबिक राजस्व रिकार्ड आराजी खसरा नं. 563 रकबा 0.12 है0 पर बहिस्सा बराबर–बराबर काबिज है और मौके पर आज भी आराजी का रकबा 0.12 है0 है तथा राजस्व रिकार्ड में भी रकबा मौके अनुसार ही दर्ज है। तहसीलदार द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपीलांट्स बोनाफाईड परचेजर को पक्षकार न बनाते हुए धारा 136 एल. आर. एक्ट का प्रार्थना पत्र तहत न्यायालय ने प्रस्तुत किया, जिस पर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी अलवर द्वारा बिना रिकार्ड एवं तथ्यों का अवलोकन किये क्षैत्राधिकार से बाहर जाकर एकतरफा अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है जो कि प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विरूद्ध एवं विधिसम्यक नहीं होने से खारिज किये जाने योग्य है। अतः अपील अपीलान्ट्स स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश उपखण्ड अधिकारी अलवर 17.02.2022 निरस्त किया जावे।

6. राजकीय अधिवक्ता ने बहस के दौरान अपील का विरोध करते हुये मुख्य रूप से कथन किया कि तहसीलदार ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू–राजस्व अधिनियम के तहत इस आशय के साथ प्रस्तुत किया कि आराजी खसरा नं. 563 रकबा 0.12 है0 श्रीमती मुकेश पत्नि पूरणचन्द अहीर खातेदार है। खसरा नं. 563 रकबा 0.12 है0 की रकबा बरारी करने पर उक्त खसरा नं. का रकबा 0.50 है0 बनता है। मौके पर खसरा नं. 563 रकबा कटी घाटी से उमरैण जाने वाले मुख्य सडक पर स्थित होकर अवैध प्लाटिंग की हुई है। खसरा नं. 563 में रिकार्ड से अधिक 0.28 है0 भूमि इसी राजस्व ग्राम में स्थित अन्य सिवायचक खसरा नम्बरों की जांच की गई दौरान जांच खसरा नं. 76 रकबा 0.11 है0 व खसरा नं. 151 रकबा 0.58 है0 व खसरा नं. 803 रकबा 0.15 है0 का राजस्व नक्शा मे कम अंकित है। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा रेस्पो0 संख्या 1 के प्रार्थना पत्र को स्वीकार कर तहसीलदार अलवर को बढे हुये रकबे को अन्य सिवायचक खसरे में दर्ज कर दुरूस्ती किये जाने के आदेश दिनांक 17.02.2022 को दिये गये। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधिवत् सभी तथ्यों की जॉच व

क्षेत्रीय आयुक्त

अवलोकन उपरान्त ही अपीलाधीन आदेश पारित किया है जो कि उचित एवं विधिसम्मत है जिसे यथावत रखते हुये अपील अपीलांट खारिज की जावे।

7. हमने प्रकरण का अवलोकन किया। प्रकरण के तथ्यों एवं दस्तावेजी साक्ष्यों पर विचार किया एवं उभयपक्ष के योग्य अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया। अतः न्यायहित में अपीलाधीन आदेश में पक्षकार नहीं होने से अपीलाधीन आदेश की जानकारी देरी से प्राप्त होने एवं नकल दिनांक 11.10.2022 को प्राप्त होने से नरमी का रूख अपनाते हुये अपीलांट द्वारा पेश किये गये प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 5 कानून मियाद अधिनियम स्वीकार किया जाकर अपील पेश करने पर हुई देरी को क्षम्य किया जाता है। चूंकि अपीलांट प्रश्नगत भूमि 563 रकबा 0.12 है0 के क्रेतागण हैं। अतः प्रभावित पक्षकार होने से प्रार्थना पत्र 96 सी.पी.सी. स्वीकार किया जाकर अपील पेश करने की अनुमति प्रदान की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली एवं उसमें उपलब्ध दस्तावेजात् का अवलोकन से जाहिर होता है कि प्रकरण में तहसीलदार अलवर द्वारा अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी अलवर के समक्ष ग्राम भाखेडा तहसील अलवर जिला अलवर में आराजी खसरा नंबर 563 रकबा 0.12 है0 का मौके पर रकबा राजस्व रिकार्ड की तुलना में अधिक होने के कारण दुरूस्त करवाने का निवेदन किया जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रार्थना पत्र को स्वीकार कर तहसीलदार अलवर को बढे हुये रकबे को अन्य सिवायचक खसरे में दर्ज कर दुरूस्ती किये जाने के अपीलाधीन आदेश दिये गये हैं। इस संबंध में हमारा विनम्र मत है कि तहसीलदार अलवर की जांच रिपोर्ट अनुसार प्रश्नगत खसरा नं. 563 रकबा 0.12 है0 की रकबा बरारी अनुसार उक्त खसरा नं. का रकबा राजस्व रिकार्ड से 0.28 है0 अधिक बनता है एवं अन्य सिवायचक खसरा नम्बरों 76, 151 एवं 803 का राजस्व नक्शे में रकबा कम अंकित है तथा अप्रार्थी द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपने जवाब में उक्त तथ्य को स्वीकार कर बढे हुये रकबे से कोई संबंध नहीं होने का भी कथन किया है ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधिवत् तहसीलदार की जांच रिपोर्ट एवं रिकार्ड का अवलोकन पश्चात् ही अपीलाधीन आदेश पारित किये हैं। जो कि उचित एवं विधिसम्मत हैं। अपीलाधीन आदेश में हम हस्तक्षेप किया जाना हम उचित नहीं समझते हैं।

अतः आदेश है कि: अपील अपीलांट खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी अलवर जिला अलवर का अपीलाधीन आदेश दिनांक 17.02.2022 यथावत रखा जाता है।

(पूनम)
संभागीय आयुक्त,
जयपुर

निर्णय आज दिनांक 02.07.2025 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

संभागीय आयुक्त,
जयपुर